



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927

No. 246]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 377(अ)।—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (विद्युत विभाग) उप सचिव (संक्रिया मानिटरिंग) भर्ती नियम, 1991, जो भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3(i) तारीख 28 दिसंबर, 1991, को सा.का.नि. 706 तारीख 18 नवंबर, 1991 को प्रकाशित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए, विद्युत मंत्रालय निदेशक (संक्रिया मानिटरिंग) के पद पर भर्ती नियमों की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय निदेशक (संक्रिया मानिटरिंग) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहंता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. निदेशक (संक्रिया मॉनिटरिंग) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	01*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	14300-400- 18300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सशस्त्र बल कार्मिक पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष				
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की प्रतिशतता	प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा					
11	12					
प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बल कार्मिक प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)	प्रतिनियुक्ति :					
(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :						
(i) जो मूल काड़र/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों;						
(ii) जिसने मूल काड़र/विभाग में 12000-375-16500 रूपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो; और						
(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो :						
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य;						
(ii) पावरग्रिड सिस्टम की मानिटरिंग में दस वर्ष का अनुभव।						
वांछनीय योग्यताएं :—						
(i) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;						
(ii) थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल प्रबंध का अनुभव।						
सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :						
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो कर्नल या सदृश्य पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं के संबंध में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।						
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ऊपर पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति व्यक्ति भी शामिल है, साझेदाता या संबंधित वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि योग्य आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख दो ५६ वर्ष से अधिक नहीं होगी।						

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

लागू नहीं होता।

14

जब अन्य व्यक्तियों में कोई सशस्त्र बल कार्मिक प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए चयन क्षेत्र में है या इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करना है तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 1/4/2003-प्रशा. II]

आर.सी. अरोड़ा, अवर सचिव